



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1071/अका./का.प/2025

रायपुर, दिनांक / 2/06/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '98वाँ' बैठक मंगलवार दिनांक 10.06.2025 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|---------|
| 1. श्री पुरन्दर मिश्रा | – सदस्य | 8. श्री बदन कुमार ठाकुर, अवर सचिव, वित्त | – सदस्य |
| 2. श्री गुरु खुशवंत साहेब | – सदस्य | 9. श्री कमलेश ठोकने | – सदस्य |
| 3. डॉ. एन. बोधनकर | – सदस्य | 10. श्री प्रकाश चंद्र चोपड़ा | – सदस्य |
| 4. डॉ. अशोक कुमार प्रधान | – सदस्य | 11. डॉ. मेघेश तिवारी (ऑनलाईन उपस्थित) | – सदस्य |
| 5. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | – सदस्य | 12. डॉ. विजयानंद सिंह (ऑनलाईन उपस्थित) | – सदस्य |
| 6. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा | – सदस्य | 13. श्री मोतीलाल साहू (ऑनलाईन उपस्थित) | – सदस्य |
| 7. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य | 14. श्री रोहित साहू (ऑनलाईन उपस्थित) | – सदस्य |

प्रो. अम्बर व्यास, कुलसचिव – सचिव

अनुपस्थित सदस्य- डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, डॉ. (श्रीमती) राधा पाण्डेय
डॉ. गिरीश चंदेल, प्रो. मधुश्री शेखर

कार्यवृत्त

- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.04.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय: अध्यक्ष की अनुमति से निर्णय क्रमांक 05 में गठित समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में डॉ. अशोक प्रधान, कार्यपरिषद् सदस्य को सम्मिलित करने के निर्देश के साथ शेष कार्यवृत्त की सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक ESTB/2725/2025/38-2 रायपुर, दिनांक 28.05.2025 के द्वारा डॉ. अम्बर व्यास, प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का कार्यभार सौंपे जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

- डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को कुलपति पद के कार्यकाल का सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति ने आवेदन प्रस्तुत कर कुलपति पद पर कार्यरत अवधि में दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक का सातवें वेतनमान के अनुसार एरियर्स राशि भुगतान किए जाने की मांग की है।
उपरोक्त के संबंध में लेख है कि डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके कुलपति पद पर दिनांक

01.04.2018 तक कार्यरत अवधि का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 (छठवाँ वेतनमान) के तहत रु. 75000/- निश्चित वेतन के साथ रु. 5000/- विशेष वेतन एवं प्रचलित दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान किया गया है।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2-1/18/38-1 अटल नगर, दिनांक 26.09.2018 के द्वारा "विश्वविद्यालयों के कुलपति के पुनरीक्षित वेतनमान" दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान छ.ग. वेतन पुनरीक्षण 2017 के अनुसार रु. 210000/- निश्चित वेतन के साथ रु. 5000/- विशेष वेतन एवं प्रचलित पद पर महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने का निर्देश है।

तत्संबंध में अधिवक्ता श्री नीरज चौबे, उच्च न्यायालय से विधिक अभिमत लिया गया है, जिसके अनुसार डॉ. शिवकुमार पाण्डेय, पुनरीक्षित वेतनमान की उक्त अवधि में दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक कुलपति के पद पर कार्यरत अवधि हेतु निश्चित वेतन रुपये 75000/- एवं रु. 5000/- विशेष भत्ता के पुनरीक्षित होने के कारण इन्हें भी दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु कुलपति पद हेतु निर्धारित निश्चित वेतन रुपये 2,10,000/- के साथ रुपये 5000/- विशेष भत्ता प्रतिमाह की पात्रता होती है। अतः अंतर की राशि की गणना कर एरियर्स का भुगतान किया जा सकता है।

अतः डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदनानुसार उनके कुलपति पद का दिनांक 01.01.2016 से 01.04.2018 तक की अवधि का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने की स्वीकृति प्रदाय के संबंध में मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदनानुसार उनके कुलपति पद का दिनांक 01.01.2016 से 01.04.2018 तक की अवधि का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुए तदनुसार वेतन भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. पुरुषोत्तम लाल चन्द्राकर, सह प्राध्यापक, भूगोल के पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण (Pay Protection) के संबंध में विचार करना।

टीप: डॉ. पुरुषोत्तम लाल चन्द्राकर, सह प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर दिनांक 04.10.2024 को वेतन संरक्षण हेतु आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने इस विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक, भूगोल के पद पर दिनांक 11.09.2024 को पूर्वान्ह पदभार ग्रहण करने तथा अपने पूर्व संस्था के द्वारा प्रदत्त माह अगस्त 2024 का वेतन प्रमाण पत्र जमा करने तथा पूर्व सेवा का पद सहायक प्राध्यापक, भूगोल से उच्च पद पर नियुक्ति होने का उल्लेख कर उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ एवं उनके पूर्व संस्था के द्वारा प्रदान किये गये वेतन को नियमानुसार संरक्षण प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के वित्त निर्देश 41/2018 पत्र क्रमांक 385/एफ 2018-25-01445/वित्त/नियम /चार दिनांक 03.08.2018 के अनुसार- "त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माने जाने पर शासकीय सेवक को यदि पूर्व सेवाओं का लाभ अन्यथा नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जावेगा, ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22-सी का उपयोग कर लिया जायेगा।"

मूलभूत नियम 22-सी के अनुसार- स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा।

4

उपरोक्त नियमानुसार डॉ. पुरुषोत्तम लाल चन्द्राकर, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल अध्ययनशाला को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान कर वेतनमान 37400-67000+AGP9000, अकादमिक लेवल 13A में दिनांक 11.09.2024 से मूल वेतन 187300/— देय होगा।

अतः डॉ. पुरुषोत्तम लाल चन्द्राकर, सह प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदनानुसार उनके कार्यभार ग्रहण तिथि 11.09.2024 से वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए मूल वेतन 187300/— में वेतन निर्धारण किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. श्री जितेन्द्र कुमार साहू, चपरासी का विधिक अभिमत के अनुसार निलंबन अवधि समाप्त किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: (अ) श्री जितेन्द्र कुमार साहू, चपरासी, सामान्य प्रशासन विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं एवं इन्हें अनेक बार अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है जो निम्नलिखित हैं:-

- 01 इस कार्यालय के आदेश क्र. 2115/सा.प्रशा./14 दिनांक 27.05.2014 के द्वारा इनकी नियुक्ति चपरासी के पद पर हुई है।
- 02 इस कार्यालय के आदेश क्र. 4287/सा.प्रशा./15 दिनांक 19.11.2015 को दिनांक 19.05.2023 एवं 25.05.2023 को 02 दिन का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है
- 03 आदेश क्र. 4464/सा.प्रशा./15 दिनांक 08.12.2015 के द्वारा दिनांक 05.11.2015 से 16.11.2015 तक कुल 12 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
- 04 वि.वि. का पत्र क्र. 786/सा.प्रशा./2017 के द्वारा दिनांक 28.01.2017 से 30.01.2017 तक एवं 06.02.2017 से 24.02.2017 तक बिना सूचना के अनुपस्थित होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
- 05 आदेश क्र. 827/सा.प्रशा./2017 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा दिनांक 28.01.2017 से 30.01.2017 तथा 06.02.2017 से 24.02.2017 तक कुल 22 दिनों का लघुकृत अवकाश चेतावनी के साथ स्वीकृत किया गया।
- 06 पत्र क्र. 786/सा.प्रशा./2017 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रदान किया गया है।
07. पत्र क्र. 2343 /सा.प्रशा./2017 दिनांक 20.06.2017 के द्वारा दिनांक 09.05.2017, 25.05.2017, 29.05.2017 तथा 30.05.2017 तक बिना आवेदन पूर्व सूचना के कार्य पर अनुपस्थित रहने के कारण कारण बताओ नोटिस दिया गया।
- 08 आदेश क्र. 2725/सा.शा./2017 दिनांक 24.07.2017 के द्वारा दिनांक 09.05.2017, 25.05.2017, 29.05.2017, 30.05.2017, अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है तथा इनका वेतन रोका गया था।
- 09 आदेश क्र. 2541/सा.प्रशा./18 दिनांक 30.06.2018 के द्वारा चेतावनी पत्र दिया गया है।
- 10 आदेश क्र. 3341/सा.प्रशा./18 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा दिनांक 09.08.2018 से 22.08.2018 तक कुल 14 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
11. आदेश क्र. 3611/सा.प्रशा./18 दिनांक 01.10.2018 के द्वारा दिनांक 17.09.2018 बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनका वेतन रोका गया था।
12. आदेश क्र. 3830/सा.प्रशा./18 दिनांक 27.10.2018 के द्वारा दिनांक 17.09.2018 से 30.09.2018 तक 14 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
- 13 पत्र क्र. 1584/सा.प्रशा./2021 दिनांक 01.06.2021 के द्वारा प्रशासनिक भवन के सामने शराब के नशे में महिला सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया जिसके कारण इन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

- 14 पत्र कं. 2027/सा.प्रशा./2022 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा दिनांक 02.05.2022 को बिना पूर्व सूचना आवेदन से अनुपस्थित होने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है।
- 15 आदेश क. 2143/सा.प्रशा./2023 दिनांक 03.06.2022 के द्वारा दिनांक 02.05.2022 से 10.05.2022 तक कुल 09 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
- 16 आदेश क. 2461/सा.प्रशा./2022 दिनांक 22.06.2022 के द्वारा दिनांक 01.06.2022, से 07.06.2022 तक कुल 07 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
- 17 पत्र कं. 3648/सा.प्रशा./2022 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा दिनांक 29.08.2022, 01.09.2022, 02.09.2022, 14.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, एवं 23.09.2022 को बिना सूचना के अनुपस्थित होने के कारण कारण बताओं नोटिस दिया गया।
- 18 पत्र क. 4081/सा.प्रशा./2022 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा कारण बताओं नोटिस दिया गया एवं माह अक्टूबर 2022 से आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोका गया।
- 19 पत्र क. 4540/सा.प्रशा./06.12.2022 के द्वारा कारण बताओं नोटिस प्रदान किया गया है।
- (ब) आदेश क. 3094/सा.प्रशा./2023 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा दिनांक 29.05.2023, 30.05.2023, 01.06.2023, 02.06.2023, 05.06.2023, 21.06.2023, 22.06.2023, 23.06.2023, 24.06.2023, तक 10 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
श्री साहू पुनः दिनांक 26.06.2023 से 25.07.2023 तक एक माह तक बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य पर अनुपस्थित रहे। ये आदतन बिना सूचना के अवकाश में अनुपस्थित हो जाते हैं।
- (स) श्री जितेन्द्र कुमार साहू की प्रथम नियुक्ति दिनांक 27.05.2014 को हुई है। इनके निलंबन का कारण यह है कि विश्वविद्यालय में लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण विभागीय जाँच अंतर्गत पत्राचार करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि यह किसी अपराधिक प्रकरण में जेल में बंद है। इनकी जेल में निरुद्धता की पुष्टि संबंधित थाना से पत्राचार करने पर प्राप्त रिपोर्ट से होती है, जिसके आधार पर इनके निलंबन की कार्यवाही की गई। अद्यतन स्थिति में यह दिनांक 26.04.2023 से आज दिनांक तक निलंबित हैं।
- (द) दिनांक 10.05.2025 के द्वारा अधिवक्ता नीरज चौबे से प्राप्त विधिक अभिमत के अनुसार “ श्री जितेन्द्र कुमार साहू का निलंबन समाप्त किया जा सकता है तथा आपराधिक प्रकरण में पारित अंतिम आदेश के अनुक्रम में इनकी सेवा के संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जा सकता है”।
प्राप्त विधिक अभिमत एवं जाँच समिति के सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री जितेन्द्र साहू के विरुद्ध कोई भी विभागीय जाँच या अन्य अपराधिक मामलों के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उनके निलंबन समाप्त करने का विचार किया जा सकेगा।
- (इ) नियुक्ति तिथि से अब तक श्री जितेन्द्र कुमार साहू को 119 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।

निर्णय: श्री जितेन्द्र कुमार साहू, चपरासी के निलंबन को यथावत् रखते हुए विभागीय जाँच हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि विभागीय जाँच सम्पन्न होने के उपरांत प्रकरण पर अंतिम निर्णय हेतु जाँच रिपोर्ट कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत की जाए।

6. स्व. श्री सोविन्द उइके के पुत्र— श्री राजेश उइके को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप: स्व.श्री सोविन्द उइके, चौकीदार का निधन सेवाकाल के दौरान दिनांक 09.11.2024 को हुआ था। इनके पुत्र श्री राजेश उइके द्वारा दिनांक 26.12.2024 को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया।

स्व. सोविन्द उइके की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी के अनुसार यह अनुसूचित जाति के थे किंतु इनके पुत्र को वि.वि. के पत्र क्रं. 86/सा.प्रशा./दिनांक 07.01.2025 के द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर इनके द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उक्त क्रम में प्रकरण पर वि.वि. के पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। प्राप्त विधिक अभिमत अनुसार "यदि आवेदक के पिता आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त हुये थे तब उनके पुत्र के द्वारा यदि उसी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इनके अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जा सकता है"। अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: चूँकि आवेदक के पिता आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त हुए थे अतः उनके पुत्र के द्वारा यदि उसी श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इनके अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जा सकता है। जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु एक माह का समय दिये जाने की संस्तुति की गई।

7. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर एवं न्यूनतम अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2025/2840 रायपुर, दिनांक 27.03.2025 के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक 474/सिविल-2/ 2025, रायपुर, दिनांक 21/04/2025 के द्वारा कलेक्टर दर पर आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत कुशल/अर्द्धकुशल /अकुशल श्रमिकों को वृद्धि दरों से पारिश्रमिक का भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर एवं न्यूनतम अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक आठ/न्यू.वे./श्र.आ./2025/2840 रायपुर, दिनांक 27.03.2025 के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के आदेश क्रमांक 474/सिविल-2/ 2025, रायपुर, दिनांक 21/04/2025 के द्वारा कलेक्टर दर पर कार्यरत श्रमिकों के पारिश्रमिक में दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक की अवधि हेतु दैनिक एवं मासिक दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है—

क्र.	पद श्रेणी	अनुसूची 'ग' शासकीय विभागों के लिए 30 दिन के अनुसार	
		मासिक	दैनिक
1.	अकुशल	11176.00	372.53
2.	अर्द्धकुशल	11826.00	394.20
3.	कुशल	12606.00	420.20

उक्त आदेश के परिपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत कुशल/अर्द्धकुशल /अकुशल श्रमिकों को उपरोक्त वृद्धि दरों से पारिश्रमिक का भुगतान की स्वीकृति उपरांत कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में भुगतान किया जा चुका है। अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

8. श्री कन्हैयालाल रावटे, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय के संबंध में विचार करना।

टीप:

1. श्री कन्हैयालाल रावटे, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक के वि.वि. परिनियम 31 के नियम 58(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति वि.वि. आदेश क्रमांक 2904/सा.प्रशा./2016 दिनांक 30.07.2016 को निरस्त करने हेतु उनके आवेदन दिनांक 03.07.2024 के संबंध में विस्तृत जाँच हेतु कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.07.2024 के पूरक विषय सूची 04 पर लिये गये निर्णयानुसार तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

2. अपीलार्थी श्री कन्हैयालाल रावटे, पूर्व वरिष्ठ अधीक्षक (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) द्वारा 12 पृष्ठों के संलग्नक सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
3. कार्यपरिषद् की स्वीकृति उपरांत गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा अपीलार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन एवं दस्तावेज सहित आरोप-पद क्रमांक-1, 2 एवं 3 की जाँच किया गया।
4. तीन सदस्यीय समिति द्वारा श्री कन्हैयालाल रावटे अपचारी सेवक के विरुद्ध आरोपों की जाँच कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पदों पर निष्कर्ष निम्नानुसार पाया –
 1. आरोप-पद क्रमांक-1 – बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से सिद्ध
 2. आरोप-पद क्रमांक-2 – बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से सिद्ध
 3. आरोप-पद क्रमांक-3 – बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से सिद्ध
5. तीन सदस्यीय जाँच समिति के निर्णयानुसार “छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 13(अ) (1) के अंतर्गत जानबूझकर कर्तव्य/कार्य की उपेक्षा की श्रेणी में आता है।”
6. अतएव विभागीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वि.वि. आदेश क्र.2904/सा.प्रशा/2016 दिनांक 30.07.2016 के द्वारा अपचारी सेवक को दिनांक 01.08.2016 अपराहन से वि.वि. परिनियम 31 की कंडिका 12, 13(अ-1) एवं 57(1-इ) के प्रावधानानुसार श्री कन्हैयालाल रावटे की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय मान्य योग्य है।
अतः समिति द्वारा जाँचोपरांत लिया गया उपर्युक्त निर्णय माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: विभागीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वि.वि. आदेश क्र. 2904/सा.प्रशा/2016 दिनांक 30.07.2016 के द्वारा अपचारी सेवक श्री कन्हैयालाल रावटे को दिनांक 01.08.2016 अपराहन से वि.वि. परिनियम 31 की कंडिका 12, 13(अ-1) एवं 57(1-इ) के प्रावधानानुसार अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने के पूर्व निर्णय को यथावत् रखे जाने का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. श्रीमती जगम्मा बाई, चपरासी, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर पदस्थापना नियुक्ति तिथि 20.01.1998 के 27 वर्ष के सेवाकाल के उपरांत दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,20,179.00 (रुपए आठ लाख बीस हजार एक सौ उन्यासी मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: श्रीमती जगम्मा बाई, चपरासी, इतिहास अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 8,20,179.00 (रुपए आठ लाख बीस हजार एक सौ उन्यासी मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

10. श्रीमती छाया बाई सोनेकर, स्वच्छक, भू-विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर पदस्थापना नियुक्ति तिथि 07.05.1988 के 36 वर्ष 07 माह के सेवाकाल के उपरांत दिनांक 08.01.2025 को आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 8,15,139.00 (रुपए आठ लाख पंद्रह हजार एक सौ उनतालीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: श्रीमती छाया बाई सोनेकर, स्वच्छक, भू-विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि 8,15,139.00 (रुपए आठ लाख पंद्रह हजार एक सौ उनतालीस मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(4)

11. आंतरिक मूल्यांकन एवं असाइनमेंट शुल्क राशि रु. 22,40,082.00 (रुपए बाईस लाख चालीस हजार बयासी मात्र) वापसी की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय से संबद्ध 66 महाविद्यालयों को परीक्षा प्रक्रिया अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन एवं असाइनमेंट शुल्क वापसी की राशि रु. 22,40,082.00 (रुपए बाईस लाख चालीस हजार बयासी मात्र) का भुगतान माननीय कार्यपरिषद् की सक्षम स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 05.05.2025 को किया जा चुका है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. कला भवन के छत की वाटर प्रूफिंग कार्य हेतु अनुबंधित फर्म मे. द वेदरमेन रायपुर को 50% भुगतान रु. 4,83,575/- की कार्योत्तर स्वीकृति एवं शेष राशि रु. 4,28,100/- (रुपए चार लाख अठाईस हजार एक सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: (1) भवनों की छत की वाटर प्रूफिंग कार्य के लिए प्राक्कलन राशि रु. 35,00,000/- की खुली निविदा आमंत्रित किया गया था। प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम निविदाकार द वेदरमेन रायपुर की @21.99% (इक्कीस दशमलव नौ-नौ प्रतिशत) छ.ग. लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01.01.2020 से प्रचलित एस.ओ.आर. से कम दर को विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 07.01.2025 एवं केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 15.01.2025, भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 19.03.2025 में स्वीकृति की अनुशंसा किया गया था, तदनुसार कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2025 में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(2) मान. कार्यपरिषद् से वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में रु. 27,30,350/- का कार्य अनुबंध दिनांक 17.01.2025 को फर्म द वेदरमेन से करते हुए कला भवन की छत की वाटर प्रूफिंग कार्य पूर्ण कराया गया है।

(3) कला भवन छत वाटर प्रूफिंग के पूर्ण किये गये कार्य का मूल्यांकन, सत्यापन छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से कराया गया है, प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.04.2025 अनुसार

(i) फर्म को भुगतान योग्य कुल राशि — रु. 9,11,675/-

(ii) कार्यपरिषद् से स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 17.04.2025 को फर्म को किया गया 50% भुगतान — रु. 4,83,575/-

(iii) CSVTU की प्राप्त रिपोर्ट अनुसार फर्म को शेष भुगतान (i-ii) — रु. 4,28,100/-

(4) नियमानुसार कटौती उपरांत निम्नानुसार भुगतान किया जाना है—

(i) आयकर कटौती जमा @2% x 4,28,100/- — रु. 8562/-

(ii) जी.एस.टी.कटौती जमा @2% x 4,28,100/- — रु. 8562/-

(iii) फर्म मे. द वेदरमेन रायपुर (रु. 428100-[4(i)+(ii)]) रु. 4,10,976/-

(5) फर्म मे. द वेदरमेन रायपुर को दिनांक 17.04.2025 को किये गए 50% राशि रु. 4,83,575/- भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं उपरोक्तानुसार अवशेष भुगतान रु. 4,28,100/- (रुपए चार लाख अठाईस हजार एक सौ मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।



13. 2 नग हाई मास्क पोल सहित फ्लड लाईट कन्या छात्रावास के सामने शिक्षक कॉलोनी के पास एवं बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के कॉर्नर में लगाये जाने के पश्चात कुल लागत (below rate के आधार पर) रु. 18,61,819.00 (रुपए अठारह लाख इकसठ हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) में से अनुबंधित फर्म मे. प्रमोद कुमार कौशल, सुंदर नगर, रायपुर को 33% भुगतान रु. 6,14,400/- (रुपए छः लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति एवं शेष 67% की राशि रु. 12,47,419/- (रुपए बारह लाख सैंतालीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: (1) 2 नग हाई मास्क पोल सहित फ्लड लाईट कन्या छात्रावास के सामने शिक्षक कॉलोनी के पास एवं बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के कॉर्नर में लगाये जाने के पश्चात कुल लागत (SOR से 11.91% below rate के आधार पर) रु. 18,61,819.00 (रुपए अठारह लाख इकसठ हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) में से अनुबंधित फर्म मे. प्रमोद कुमार कौशल, सुंदर नगर, रायपुर को 33% राशि रु. 6,14,400/- (रुपए छः लाख चौदह हजार चार सौ मात्र) भुगतान निम्नानुसार किया गया है -

1	Pramod Kumar Kaushal, Raipur GST - AEWPK42707JI26 PAN- AEWPK42707J	Rs. 5,89,824.00
2	SBI(I.Tax) RSU Raipur Rs. 6,14,400.00	Rs. 12288.00
3	SBI (GST) RSU Raipur Rs. 6,14,400.00	Rs. 12288.00
रु. छः लाख चौदह हजार चार सौ मात्र		Rs. 6,14,400.00

उपरोक्तानुसार किये गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

- (2) उपरोक्त कार्य हेतु शेष 67% की राशि रु. 12,47,419/- (रुपए बारह लाख सैंतालीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
- (3) इस प्रकार सकल राशि रु. 18,61,819.00 (रुपए अठारह लाख इकसठ हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की भुगतान हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के जिम्नेशियम के लिए जिम सामग्री क्रय हेतु राशि रु. 8,74,962.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ बासठ मात्र) के क्रय स्वीकृति आदेश जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के जिम्नेशियम के उन्नयन हेतु जिम सामग्री क्रय हेतु GeM Portal पर तीन कंपनियों की तुलनात्मक तालिका अनुसार न्यूनतम दर के आधार पर Aerofit IT Series Shoulder Press Machine and Gym Accessories रु. 8,74,962.00 (रुपए आठ लाख चौहत्तर हजार नौ सौ बासठ मात्र) में क्रय हेतु डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. की अनुशंसा एवं स्वीकृति पश्चात् जेम में रजिस्टर्ड फर्म KANAK CREATION, 01, Rajendra Nagar, Bilaspur (C.G.) को क्रय स्वीकृति आदेश क्र. 412/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 23.05.2025 Gem Portal में Order No. GEMC-511687706249858 अपलोड कर आदेशित किया गया है। अतः माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष क्रय स्वीकृति आदेश जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार क्रय स्वीकृति आदेश जारी किए जाने सम्बन्धी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।



15. स्टेशनरी सामग्री क्रय देयक रु. 8,35,975.00 (रुपए आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: वि.वि. के विभिन्न विभागों/अध्ययनशालाओं/छात्रावासों एवं वि.वि. प्रेस को स्टेशनरी सामग्री सत्र 2024-25 के लिये आबंटन हेतु वि.वि. द्वारा निविदा सूचना क्र.837/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 11/12/2024 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

स्टेशनरी सामग्री हेतु न्यूनतम दर के आधार पर क्रय हेतु निम्नलिखित फर्मों के नाम से अलग-अलग आदेश प्रसारित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1. Vinayak Enterprises, Raipur
2. Cybernet, Raipur
3. Asheesh Enterprises, Raipur
4. जिला सहकारी संघ मर्यादित सहकारी मुद्रणालय, रायपुर
5. Maruti Traders, Raipur
6. Daksh Stationers, Raipur

पत्र क्र.119/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 27/02/2025 के द्वारा विनायक इंटरप्राइजेस, बी.एल. प्लाजा, मालवीय रोड, रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार सामग्री आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र0	सामग्री का नाम	सामग्री का दर	क्रय किये जाने वाले सामग्री की संख्या	कुल राशि (जीएसटी सहित)
01	जे0के0 कापीयर पेपर A-4 (Red)	रु.232.20 प्रति रीम	2000 रीम	रु.4,64,400.00
In Words – Four Lakh Sixty Four Thousand Four Hundred Only.				

इसी प्रकार पत्र क्र.117/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 27/02/2025 के द्वारा Cybernet, Radha Complex, Malviya Road, Raipur (C.G.) को सामग्री आपूर्ति हेतु आदेशित किया गया था।

उक्त फर्म द्वारा निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र0	सामग्री का नाम	सामग्री का दर	क्रय किये जाने वाले सामग्री की संख्या	कुल राशि (जीएसटी सहित)
01	Handmade फाइल पेड	रु. 8679.50 प्रति हजार	30000 नग	रु.2,60,385.00
02	पीला लिफाफा 11"X 5" inch	रु.1111.90 प्रति हजार	1,00,000 नग	रु.1,11,190.00
कुल				रु.3,71,575.00
In Words – Three Lakh Seventy One Thousand Five Hundred Seventy Five Only.				

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09/01/2025 पूरक विषय सूची क्र.22 में स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु राशि रु.26,00,000.00 (छब्बीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृत राशि से फर्म विनायक इंटरप्राइजेस, रायपुर को रु. 4,64,400.00 एवं Cybernet, Raipur (C.G.) को रु. 3,71,575.00 कुल राशि रु. 8,35,975.00 (रुपये आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) भुगतान करने के लिये स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

16. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव 01 वर्ष के लिए कराये जाने के संबंध में विचार करना।

टीपः

1. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के रख-रखाव का कार्य कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा वार्षिक प्राक्कलन राशि रुपये 56,15,287.00 (रुपये छप्पन लाख पंद्रह हजार दो सौ सत्तासी मात्र) के सापेक्ष सम्पन्न किया गया था।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) को उक्त कार्य हेतु विश्वविद्यालय पत्रांक 1275/यांत्रिकी/2025 रायपुर, दिनांक 06.02.2025, 1303/यांत्रिकी/2025 रायपुर, दिनांक 03.03.2025, एवं 1208/यांत्रिकी/2025 रायपुर, दिनांक 07.03.2025 द्वारा प्राक्कलन प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।
3. कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा अपने पत्र संख्या क्रमांक/उद्यान/स्था./2024-25/713, रायपुर दिनांक 10.03.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की गई।
4. कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने के कारण कार्यपरिषद् दिनांक 24.03.2025 के निर्णय क्रमांक 05 के क्रम में सक्षम अनुमति उपरांत उक्त कार्य हेतु टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया।
5. पुनः कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) द्वारा पत्र संख्या क्रमांक/उद्यान/स्था./2025-26/39, रायपुर दिनांक 08.04.2025 द्वारा रुपये 70,84,964.00 (रुपये सत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ चौसठ मात्र) का प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए कार्य करने का आग्रह किया गया।
6. किन्तु इस अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा जारी टेंडर की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ गई थी।
7. वि.वि. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव हेतु निविदा सूचना क्र. 238/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 07/04/2025 द्वारा निविदा छ.ग. संवाद के माध्यम से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित 06 फर्मों के द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था।

तकनीकी बीड में योग्य पाये गये फर्मों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. Florence Flora, Near Little Flower School, Byran Bazar, Raipur
2. Yours Construction, Near Megh Market, Budhapara, Raipur
3. AM Contractor, Shop No.11, New Bus Stand, Durg (Chhattisgarh)

तकनीकी बीड में अयोग्य पाये गये फर्मों का विवरण निम्नानुसार है-

1. A.K. Enterprises, Beside R.S. Park, Byron Bazar, Raipur (C.G.)
2. Yash Enterprises & Security Servises, M.II/112, Fesh-2, Kabir Nagar, Ring Road No.2, Raipur (C.G.)
3. New Bharat Security & Detective Services, Thana Road, Mohba Bazar, Tatibandh, Raipur (C.G.)

उपरोक्त योग्य फर्मों का फायनेंसियल बीड खोला गया जिसमें फर्म Florence Flora, Near Little Flower School, Byran Bazar, Raipur के द्वारा प्रस्तुत दर Rs.9.55 (Nine Rupees Fifty Five Paisa Only) Per Sq. Ft दर प्रस्तुत किया गया है, जो अन्य फर्मों के द्वारा प्रस्तुत दर से कम है। उक्त दर पर कार्य कराये जाने पर विश्वविद्यालय पर वार्षिक व्ययभार लगभग रुपये 46,45,588.00 (रुपये छियालीस लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ अठ्यासी मात्र) आएगा, जो कार्यालय सहायक

4

संचालक, उद्यान, प्रमुख उद्यान रायपुर (छ.ग.) से वार्षिक आधार पर प्राप्त प्राक्कलन राशि रुपए 70,84,964.00 (रुपए सत्तर लाख चौरासी हजार नौ सौ चौसठ मात्र) से काफी कम है।

अतः न्यूनतम दर के आधार पर Florence Flora, Near Little Flower School, Byran Bazar, Raipur से आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव का कार्य 01 वर्ष के लिये कराये जाने के लिये स्वीकृति सहित प्रकरण के संबंध में विचार हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय: न्यूनतम दर के आधार पर Florence Flora, Near Little Flower School, Byran Bazar, Raipur से टेण्डर नियमों के आलोक में अनुबन्ध करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उद्यानों के वार्षिक रख-रखाव का कार्य 01 वर्ष के लिये कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

टीप : हिंदी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 20.05.2025 के निर्णयानुसार शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां, रायपुर को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 20.05.2025 की अनुशंसानुसार 03 वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

18. स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

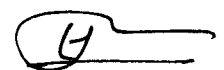
टीप : हिंदी विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 20.05.2025 के निर्णयानुसार स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। संशोधित विनियम क्रमांक-107 की कंडिका-08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली को हिंदी विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 20.05.2025 की अनुशंसानुसार 03 वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 09, 10, 16 एवं अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्र. 01, 02 एवं 03 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक रूप से भी चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी पृथक अभिमत उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।



विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख-रखाव कार्य के अनुबंध में 03 माह (दिनांक 13.06.2025 से 12.09.2025 तक) वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीपः विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख-रखाव कार्य के लिए किया गया अनुबंध दिनांक 12.03.2025 को समाप्त हो चुका था। वैकल्पिक व्यवस्था एवं नवीन निविदा प्रक्रिया के द्वारा नये फर्म का चयन होते तक संबंधित फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के अनुबंध में 03 माह (दिनांक 13.03.2025 से 12.06.2025 तक) के लिए आदेश क्र. 231/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 03.04.2025 के द्वारा वृद्धि किया गया था। प्रथम निविदा में 01 ही निविदा प्राप्त होने के कारण द्वितीय निविदा सूचना जारी किया गया है।

अतः निविदा प्रक्रिया के द्वारा नये फर्म के चयन होने तक फर्म के अनुबंध में पुनः 03 माह की (दिनांक 13.06.2025 से 12.09.2025 तक) वृद्धि किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. श्री हेमन्त साहू, निम्न वर्ग लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रकरण में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्र. 205/70/आउशि/वि.वि.अनु./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.06.2025 के संबंध में विचार करना।

टीपः

1. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 205/70/आउशि/वि.वि. अनु./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.06.2025 अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
2. पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर विधि एवं शासन के नियम/निर्देशों के अनुरूप निर्णय लेकर प्रकरण निराकृत किये जाने का उल्लेख किया गया है।
3. प्रकरण के निराकरण हेतु कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री हेमन्त साहू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर से याचिका क्रमांक 1954/2020 को वापस लिया गया है।
4. प्रकरण क्रमांक - 1954/2020 श्री हेमन्त साहू विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। वर्तमान में समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण एवं जाँच किया जा रहा है, तदोपरांत जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समिति अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5. श्री हेमन्त साहू के प्रकरण निराकरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में गठित तीन सदस्यीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2018 द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के निर्णयानुसार - "चूँकि श्री हेमन्त साहू अपने आपत्तियों के संबंध में कोई भी पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, अतः समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि उनकी आपत्तियों पर पुनर्विचार किया जाना संभव नहीं है।"
6. छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों एवं दस्तावेजों तथा श्री हेमन्त साहू द्वारा अभी तक गठित विश्वविद्यालय स्तरीय समितियों के प्रति असंतुष्टा के आधार पर निष्पक्ष जाँच कराये जाने के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारी के निर्देशानुसार एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच समिति गठित किये जाने हेतु प्रस्तुत।"
अतः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः श्री हेमन्त साहू के प्रत्यावेदनों के आधार पर प्रकरण में उच्च स्तरीय जाँच हेतु सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी की जाँच समिति गठित किए जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही जाँच अधिकारी की नियुक्ति हेतु कुलपति जी को अधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई।

4. दैनिक वेतन भोगियों का श्रम सम्मान राशि रु. 4000/- प्रदाय किये जाने के संबंध में विचार करना।
- टीप:** 1. छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्र. 533/128/वि./नि./चार/2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28.08.2023 के आदेशानुसार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में दैनिक/मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि रु. 4000/- दिये जाने का दिशा निर्देश जारी हुआ था।
2. इस संबंध में इस कार्यालय के आदेश क. 3962/सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 12.09.2023 के द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर से मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय क. 393/118/आउशि/वि.वि.अनु./2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.10.2023 प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उक्त वित्त निर्देश विश्वविद्यालय पर लागू नहीं होता है। (फोटो कापी संलग्न है)
3. माननीय सांसद रायपुर लोकसभा क्षेत्र एवं पूर्व मंत्री छ.ग. शासन का पत्र क. 3761,62/सांसद रायपुर लोकसभा/25 रायपुर, दिनांक 15.05.2025 के द्वारा प्राप्त पत्र का कृपया अवलोकन करना चाहें जिसमें इन्होंने दैनिक वेतन भोगियों को श्रम सम्मान राशि रु. 4000/- दिये जाने के संबंध में समुचित निर्देश से अवगत कराए जाने कहा गया है। अतः उक्तानुसार दैनिक वेतन भोगियों का श्रम सम्मान राशि रु. 4000/- प्रदाय किये जाने के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय:** दैनिक वेतन भोगियों का श्रम सम्मान राशि रु. 4000/- प्रदाय किये जाने के संबंध में पुनः शासन को पत्र प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया। प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि कार्यपरिषद् के नामित सदस्यगण मान. विधायकगणों को भी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश प्रदान किया गया।

5. सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोले जाने के संबंध में विचार करना।
- टीप :** विश्वविद्यालय में Geology (01-ST(BL), 01-OBC) विषय हेतु Asst. Professor एवं Zoology (01-ST) विषय हेतु Asst. Professor पद पर सीधी भर्ती हेतु चयन समिति की क्रमशः बैठक दिनांक 08.06.2025 एवं 09.06.2025 में चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफों को खोले जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सीधी भर्ती विज्ञापन 3916/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 06.09.2023 और विज्ञापन क्रमांक 2895/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 03.10.2024 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर साक्षात्कार के लिए छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2) के अंतर्गत गठित चयन समिति की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में की गई संस्तुतियों के आधार पर सहायक प्राध्यापकों के चयन के संबंध में कार्यपरिषद् के सदस्यों की सहमति से कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार बंद लिफाफों को खोला गया –

S. No.	Name of Selected Candidates	Selection for Post	Date of Selection Committee Meeting	Category	Subject/SoS/ Department/ Centre
1.	Mr. Korsa Munna	Asst. Professor	08-06-2025	ST-BL	Geology
2.	Dr. Vikas Swarnkar	Asst. Professor	08-06-2025	OBC	Geology
3.	Dr. Pratibha Kujur	Asst. Professor	09-06-2025	ST	Zoology (CBS)

उपर्युक्तानुसार कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से सीधी भर्ती के संबंध में आयोजित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त तालिकानुसार सम्बन्धित विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।



गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. डॉ. राजीव चौधरी, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला को डी.लिट शोध उपाधि प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

टीप: डॉ. राजीव चौधरी द्वारा प्रस्तुत डी. लिट विषय शारीरिक शिक्षा, शोध प्रबंध मूल्यांकन अध्यादेश क्रमांक 46 की कंडिका 17 में दिए गए प्रावधानानुसार तीन परीक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। अध्यादेश के अनुसार तीनों परीक्षकों को मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें तीनों सदस्य उपस्थित थे। तदनुसार दिनांक 02.06.2025 को मौखिकी परीक्षा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला में परीक्षकों Prof. J.P. Bhukar (Haryan), Prof. Anurudh Singh Sisodia (Gwalior), Prof. B.C. Kapri (Varanasi) की उपस्थिति में संपन्न हुई।

मौखिक परीक्षा उपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट में तीनों परीक्षकों ने इन्हें डी.लिट उपाधि प्रदान करने की संस्तुति प्रदान की है। अध्यादेश क्रमांक 46 की कंडिका 18 में निम्नानुसार प्रावधान है "After the Viva voce examination the recommendations shall be report to the Executive Council for the award of D. Lit./D.Sc./L.L.D. degree to the candidate."

तदक्रम में माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: परीक्षकों की अनुशंसा तथा अध्यादेश क्रमांक-46 की व्यवस्था के आधार पर डॉ. राजीव चौधरी को डी.लिट. उपाधि प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

7. परिनियम 28 Part-III Governing Body की कंडिका 6(1)(c) के अंतर्गत अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकाय हेतु विश्वविद्यालय की ओर से दो सदस्यों के नाम के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 1864/अका./शासी निकाय/2023 दिनांक 10.05.2023 के अनुसार मनोनित सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 09.05.2025 को समाप्त हो गया है तथा आगामी दो वर्ष के लिए पुनः सदस्यों का मनोनयन परिनियम 28 Part-III Governing Body की कंडिका – 6(1)(c) के अनुसार किया जाना है।

परिनियम 28 Part-III Governing Body की कंडिका –

6(1)(c) Two representatives of the University other than members of the Foundation Society of the College, nominated by the Executive Council at least one of whom shall be from amongst the teachers of the University as far as possible working in institutions not located in the same town as the College.

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय में दो सदस्यों के नाम की सूची माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (सूची संलग्न है।)

निर्णय: प्रस्तावानुसार प्रस्तुत सूची का अनुमोदन किया गया।

8. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.04.2025 पूरक विषय सूची के बिंदु क्रमांक 16 के निर्णयानुसार शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को प्राणी विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता के संबंध में बिन्दुवार जानकारी के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत।

टीप: 1. महाविद्यालय NAAC द्वारा B+ मान्यता प्राप्त है।

2. प्राणी विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर कक्षा वर्ष 2017 से संचालित है।

3. शोध निर्देशक की मान्यता प्राप्त 04 शिक्षक पदस्थ हैं।
4. समृद्ध पुस्तकालय है। N-List तथा NDLI की सुविधा उपलब्ध है।
5. कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की सुविधा छात्रों के लिए उपलब्ध है।
6. महाविद्यालय का MoU कलिंगा विश्वविद्यालय तथा Siddhachalam Laboratory से Research Work के लिए है।
7. Common Instrumentation Research facilities Develop करने के शर्त पर आगामी 03 वर्ष के लिए अस्थाई शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की जा सकती है।
8. महाविद्यालय प्राणी विज्ञान विषय में Revised Regulation 107 की कंडिका 3 b की अर्हता पूर्ण नहीं करता है। अर्थात् प्राणी विज्ञान विषय में स्थायी सम्बद्धता नहीं है।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को **Revised Regulation 107** की कंडिका 3 b की अर्हता पूर्ण न होने के कारण प्राणी विज्ञान विषय में शोध-केंद्र के संबंध में विचार कर शोध-केंद्र अमान्य किए जाने का अनुमोदन किया गया।

कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में "AI-DFE: Fintech For All" Project में Mobile Application Development का कार्य हेतु 01 Project Scientist-III/Project Engineer, 03 Project Associate -I, 01 Project Assistant, 01 Scientific Administrative Assistant का कुल मानदेय Rs. 11,03,300.00 (रुपए ग्यारह लाख तीन हजार तीन सौ मात्र) के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: PROJECT SACTION LETTER क्रमांक IBITF/NOTE/TSP/SANCTON LETTER / 2023-24 0257 DATE 15-11-2023 के अनुसार कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में "AI-DFE: Fintech For ALL" Project में Mobile Application Development का कार्य किया जा रहा है। इस Project के लिए साक्षात्कार के माध्यम से 01 Project Scientist-III/Project Engineer, 03 Project Associate & 01 Project Assistant, 02 Scientific Administrative Assistant का चयन किया गया। प्रोजेक्ट की अवधि 12 माह की थी, जो कि 14 नवम्बर 2024 को समाप्त हो गई थी। प्रोजेक्ट विस्तार का आदेश न मिलने के कारण प्रोजेक्ट कर्मचारियों का 05 का भुगतान रोक दिया गया था। IBITF, IIT Bhilai से दिनांक 28.04.2025 को प्रोजेक्ट विस्तार का आदेश प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार प्रोजेक्ट की अवधि 30.06.2025 तक बढ़ा दी गई है। कर्मचारियों का 05 माह (Nov. 2024 to Mar. 2025) का देयक बनाकर मानदेय **Rs. 11,03,300.00 (रुपए ग्यारह लाख तीन हजार तीन सौ मात्र)** भुगतान हेतु कार्यपरिषद् में अनुमोदनार्थ एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के बिंदु क्रमांक 09 में परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2025 के कार्यवृत्त की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।



निर्णय: (1) विश्वविद्यालय परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2025 के अनुक्रम में परिनियम 27 की कंडिका 4(3) एवं 8(3)(i) में किए गए संशोधन को निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

वि.वि. परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
27	4(3)	The application shall be made to the Registrar on or before the 31 st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 8000/- which shall not be refunded.	कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, वृत्त-एक, रायपुर पत्र क्र. /स.अ. /राक/रा-एक/प्रवर्तन -अन्य/2/2024-25/2 873 दिनांक 21.10.2024 द्वारा महाविद्यालयों पर अधिरोपित जी.एस.टी. शुल्क लागू किए जाने के कारण परिनियम में संशोधन आवश्यक है।
	8(3) (i)	Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31 st July an annual affiliation fee at the rates mentioned below:-	
		Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31 st July an annual affiliation fee at the rates and Government GST rule/rate implemented time to time will applicable , which shall not be refunded.	
		Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31 st July an annual affiliation fee at the rates and Government GST rule/rate implemented time to time will applicable is mentioned below:-	

(2) समिति के अन्य अभिमत पर विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से लिए जाने वाले सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि हेतु उच्च शिक्षा विभाग से वार्ता किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के बिंदु क्रमांक 10 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में निर्मित विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं Challenge Evaluation fee के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: (1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 29.05.2025 के अनुक्रम में निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

Regulation No.	Current provisions	Proposed Provisions	Reason
221	10.11	Completion of Continuous Internal Assessment (CIA) is compulsory for appearing in End Semester Examination (ESE)	Delete
			contrary to ordinance 210 Clause 8.5 hence to be deleted



	12.10	Not exist	Students who appear for any examination for the first time shall be called "Regular" and students who appear to clear backlog paper shall be called "ATKT"	to define status of student
	12.11	Not exist	There shall be one grace mark for student who need one mark to pass the examination	Ordinance 210 Clause 8.7 there shall be provision of grace mark to enable the candidate to pass the examination as notified by the University through regulation
	12.12	Not exist	There shall be provision for retotaling as per University rules	Ordinance 210 Clause 13.2 there shall be no provision for revaluation. However retotaling is permissible as per University rule.

(2) प्रशासनिक स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा Challenge Evaluation fees निर्धारण करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के निर्णय क्रमांक 16 में सत्र 2025-26 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सीट एवं शुल्क की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

S.N.	NAME OF COURSE	Name of the Department where the course is to be conducted	NO. OF SEAT	Fee
1	M.A. in Tribal Studies & indian knowledge system	Centre for Indian Knowledge System	20	880/- per semester tuition fee+ other University fee
2	M.A. in Women and Gender Studies	Centre for Women Studies	20	880/- per semester tuition fee+ other University fee
3	M.A in Yoga	SoS in Physical Education	30	Fee will be applicable as per decision taken in above minutes point no. 7.
4	M.Sc. Data Science	Sos in Statistics	15	15000/- per semester tuition fee+ other University fee
5	Diploma in Sanskrit	Centre for Indian Knowledge System	20	3190/- per semester tuition fee+ other University fee
6	One Year Diploma in Artificial Intelligence	SoS in Computer Science	20	15000/- per semester tuition fee+ other University fee
7	B.Com-M.Com (5year Integrated Program)	Institute of Management	30	4000/- per semester tuition fee+ 1500/- (One time fee) + other University fee

निर्णय: अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।



04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के अध्यक्ष के अनुमति से निर्णय क्रमांक 01 में विश्वविद्यालय में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)) प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)) प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश पर विचार कर अभिमत प्रेषित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठन की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

- (1) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय – अध्यक्ष
- (2) प्रो. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय – सदस्य
- (3) प्रो. कविता ठाकुर, अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला – सदस्य
- (4) प्रो. जी.के. देशमुख, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय – सदस्य
- (5) श्री सनत कुमार वर्मा, उप-कुलसचिव – सदस्य सचिव

05. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के अध्यक्ष के अनुमति से निर्णय क्रमांक 02 में अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) से संबंधित नियम बनाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश क्रमांक 8 ENROLMENT OF STUDENTS AND THEIR ADMISSION TO COURSES OF STUDY की व्यवस्था के क्रम में अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) में संशोधन से संबंधित नियमों की व्याख्या हेतु निम्नानुसार समिति गठन की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

- (1) प्रो. प्रभावती शुक्ला, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
- (2) प्रो. ए.के. प्रधान, संकायाध्यक्ष, जीव-विज्ञान संकाय
- (3) प्रो. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, इंफर्मेसन टेक्नालॉजी संकाय
- (4) श्री नरेन्द्र वर्मा, उप-कुलसचिव, परीक्षा विभाग
- (5) श्री के.एस. कश्यप, सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग

06. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2025 के अध्यक्ष के अनुमति से निर्णय क्रमांक 03 में विश्वविद्यालय में स्थापित भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र हेतु सलाहकार समिति के गठन की अनुशंसा का अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में स्थापित भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र हेतु सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्यों की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

- | | | |
|--|---|---------------|
| (1) प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, | – | अध्यक्ष |
| कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर | | |
| (2) प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी, | – | सलाहकार सदस्य |
| कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | | |
| (3) डॉ. पूर्णन्दु सक्सेना, | – | सलाहकार सदस्य |
| वरिष्ठ चिकित्सक एवं संचालक, विशारद चिकित्सालय | | |
| रायपुर (छ.ग.) | | |
| (4) प्रो. गंती सूर्यनारायण मूर्ति, | – | सलाहकार सदस्य |
| राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय ज्ञान परम्परा विभाग, | | |
| शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | | |
| (5) डॉ. ओमजी उपाध्याय, | – | सलाहकार सदस्य |
| सदस्य सचिव/निदेशक, भारतीय इतिहास अनुसंधान | | |
| परिषद् (ICHR) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार | | |
| (6) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, | – | सदस्य सचिव |
| निदेशक, भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र, | | |
| पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर | | |

विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर उक्त समिति में तीन अन्य सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किए जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

07. राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्र. 2901/4497/2025/रास/यू-1 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा शहीद परिवार के छात्रा श्रीमती शकुंतला यदु को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एल.एल.एम. पाठ्यक्रम में एडमिशन दिलाने हेतु शहीद परिवार की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर, आवेदिका को अवगत कराने के संबंध में विचार करना।

टीप: राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्र. 2901/4497/2025/रास/यू-1 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा शहीद परिवार के छात्रा श्रीमती शकुंतला यदु को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एल.एल.एम. पाठ्यक्रम में एडमिशन दिलाने के संबंध में श्रीमती कुमारी बाई यदु, माता शहीद संदीप यदु, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर का आवेदन दिनांक 30.05.2025 को प्राप्त हुआ है।

राजभवन के उपरोक्त पत्र के माध्यम से शहीद परिवार की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर, किये गए कार्यवाही से आवेदिका का अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: शहीद परिवार की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के सापेक्ष मान्य आवेदन प्राप्त न होने पर रिक्त सीट पर विशेष प्रकरण मानते हुए नक्सल पीड़ित परिवार के छात्र को प्रवेश दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

तदक्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सभी नियमित पाठ्यक्रमों (नियामक संस्थाओं/निकायों से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को छोड़कर) के सापेक्ष यदि नक्सल-उन्मूलन की प्रक्रिया में शहीद परिवार के सदस्य के प्रवेश के सम्बन्ध में अथवा प्रदेश की विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों (यथा- बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, बैगा तथा कुमार) के संबंध में मान. सांसद/मान. विधायक/जिला कलेक्टर की स्पष्ट अनुशंसा से युक्त आवेदन प्राप्त होता है तो 01 सीट पर सीधे प्रवेश प्रदान किए जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया किन्तु इस प्रकार प्रदान किए गए प्रवेश को विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद् में सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

08. विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त आचार्य डॉ दिनेश नन्दिनी परिहार, कर्मचारीगण श्री तोरण लाल यादव एवं श्री पवन यादव सहित अन्य पदस्थ कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति 01.11.2004 के उपरान्त हुई है, के संदर्भ में लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त आचार्य डॉ दिनेश नन्दिनी परिहार, कर्मचारीगण श्री तोरण लाल यादव एवं श्री पवन यादव सहित अन्य पदस्थ कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति 01.11.2004 के उपरान्त हुई है, के संदर्भ में लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना से सम्बंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन:-

- (a) छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर दिनांक 01.08.2012 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ समस्त स्थायी एवं अस्थायी नियमित कर्मचारियों तथा आकस्मिकता एवं कार्यभारित सेवा के लिए दिनांक 01.11.2004 से अथवा इसके बाद से परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S.) लागू की गई है।
- (b) इसी अनुक्रम में राज्य शासन के नियंत्रणाधीन अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों जिसमें राज्य शासन के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली भी प्रचलित है, में पत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर दिनांक 01.08.2012 के क्रम में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया तथा इस हेतु प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

- (c) शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 01.08.2012 के सम्बन्ध में दिनांक 31.10.2013 को ए.सी.एस., वित्त, छ.ग. शासन के कक्ष में विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा पी.एफ.आर.डी.ए. नई दिल्ली की बैठक हुई जिसमें ए.सी.एस., वित्त, छ.ग. शासन के निर्देशानुसार छ.ग. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 809/एफ 2013-04-0000702/स्था/चार नया रायपुर दिनांक 23.06.2016 के द्वारा राज्य शासन के नियंत्रणाधीन संचालित पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में उपरोक्त उल्लेखित नवीन अंशदायी पेंशन योजना को दिनांक 01.04.2012 के स्थान पर दिनांक 01.11.2004 से मान्य किया गया। तदनुक्रम में विश्वविद्यालय में दिनांक 01.11.2004 से सी.पी.एस. की राशि की कटौती की प्रक्रिया स्थापित की गई है।
- (d) छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था/चार/2012 रायपुर दिनांक 01.08.2012 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1814/वित्त/2017 रायपुर दिनांक 31.03.2017 द्वारा समस्त अध्यक्ष/विभाग प्रमुख को पत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना में पंजीयन की कार्यवाही हेतु NPS Subscriber Registration Form (CSRF-1) में संबंधित कर्मचारियों से जानकारी भर कर जमा किए जाने के पश्चात् PRAN Card तथा NPS Card जारी हो सकेगा। आज दिनांक तक विश्वविद्यालय में दिनांक 01-11-2004 के उपरांत नियुक्त 173 शिक्षक / कर्मचारियों द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी है तथा नियमित रूप से नियमानुसार अंशदान की राशि NSDL को प्रतिमाह भेजी जा रही है।
- (e) विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 से दैनिक वेतनभोगी से नियमित किए गए कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग किए जाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2009 में दैनिक वेतन भोगी से कार्यभारित पद पर नियमित किए गए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में वित्त निर्देश 30/2018 दिनांक 26 मई 2018 को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने के संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा संचनालय को पत्र क्रमांक 4065/सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 26/06/2023 प्रेषित किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में शासन के पत्र क्रमांक 561/33/ आ.उ.शि./वि.वि.अनु/2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19/12/23 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि वित्त निर्देश 30/2018 विश्वविद्यालय में लागू नहीं होता।
- (f) विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 से दैनिक वेतनभोगी से नियमित किए गए कर्मचारियों में से कुल 36 कर्मचारियों द्वारा आज दिनांक तक कई बार के पत्राचार उपरांत भी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना का निर्धारित प्रपत्र भरते हुए पर सदस्यता ग्रहण नहीं की गयी है, फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों के सी.पी.एफ. राशि की कटौती विश्वविद्यालय के फण्ड में जमा की जा रही है।
- (g) अवकाश प्राप्ति के उपरांत आज तक कुल 06 कर्मचारियों को उनके मांग के आधार पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी विश्वविद्यालय कोष में जमा सी.पी.एफ. राशि का भुगतान कार्यपरिषद की अनुमति से किया गया है। तदक्रम में (1) स्व. श्री अमर कुमार हरबंश को राशि रु. 649178/- दिनांक 29/09/2021 (2) स्व. श्री बंशी टेकाम को राशि रु. 729250/- दिनांक 03/11/2021 (3) श्री नारायण प्रसाद को राशि रु. 654799/- दिनांक 03/11/2021 (4) श्री तोरणलाल साहू को राशि रु. 368063/- दिनांक 04/01/2023 (5) श्री मोहरलाल साहू को राशि रु. 1036382/- दिनांक 20/11/2024 एवं (6) श्री दशरथ राम वर्मा को राशि रु. 316363/- दिनांक 23/12/2024 का भुगतान कार्यपरिषद की अनुमति से किया गया है।
- (h) विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में व्याख्याता पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 09/11/2004 में की गयी संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/03/2005 में उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक WPS/2729 /2004 के पालनार्थ चयन संबंधित बंद लिफाफा खोला गया जिसके क्रम में नियुक्त व्याख्याता

डा. दिनेश नन्दिनी परिहार ने दिनांक 28.03.2005 को कार्यभार ग्रहण किया। इनकी सेवानिवृत्ति जून 2022 में हुई है। विश्वविद्यालय परिभाषित अंशदायी पेंशन की सदस्यता हेतु कई बार अधिसूचना जारी करने के बाद भी इनके द्वारा NPS की सदस्यता ग्रहण नहीं किया गया।

- (i) सेवानिवृत्त होने के उपरांत डॉ. दिनेश नन्दिनी परिहार द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन की मांग की जा रही है अथवा उनकी कुल जमा राशि की NPS के आकलन ब्याज सहित कुल राशि हस्तगत किए जाने की मांग गई है। प्राप्त आवेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 16.04.2025 के कार्यवृत्त के बिंदू क्रमांक 5 में उनके मांग तथा नियम को ध्यान में रखते हुए डॉ. दिनेश नन्दिनी परिहार से सहमति/असहमति मंगाए जाने एवं निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इनके आवेदन के संबंध में शासन द्वारा मांगी गई जानकारी के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर अद्यतन की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु पत्र क्रमांक 1600/स्था.सा.प्र./2025 दिनांक 23/05/2025 के द्वारा अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
- (j) इसी के साथ-साथ हाल ही में सेवानिवृत्त दो तृतीय वर्ग कर्मचारियों – श्री पवन यादव एवं श्री तोरण लाल यादव ने भी उनकी कुल जमा C.P.F. राशि को ब्याज सहित हस्तगत करने की मांग की है। पूर्व में 06 समान प्रकरणों में शपथ-पत्र के आधार पर C.P.F. राशियों को हस्तगत किया गया था। अतः श्री पवन यादव एवं श्री तोरण लाल यादव ने उक्त के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।
- (k) चूंकि NPS नियम के अनुसार 60 वर्ष के पश्चात् सदस्यता ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अतः इस विषय पर विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे के द्वारा दिनांक 01.11.2004 के बाद से नियुक्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति उपरांत अंतिम भुगतान के संबंध में विधिक अभिमत प्राप्त किया गया जो निम्नानुसार है –

“विश्वविद्यालय के द्वारा प्रेषित अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि श्री तोरण लाल यादव, विश्वविद्यालय की सेवा से दिनांक 31.05.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा इनके द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना का चयन नहीं किया गया था, जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा दिनांक 01.11.2004 के पश्चात् विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना में पंजीयन हेतु फार्म भरने के निर्देश दिए गए थे। अर्थात् श्री तोरण लाल यादव के द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त की स्थिति में श्री तोरण लाल यादव के नवीन अंशदायी पेंशन योजना में पंजीयन नहीं हो पाने के कारण पेंशन अंशदान की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा है तथा इनके द्वारा संपूर्ण पेंशन को एकमुश्त रूप से भुगतान किए जाने की मांग की गई है।

मासिक पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी का अधिकार है, किन्तु पेंशन की राशि, पेंशन योजना के तहत मासिक रूप से ही प्रदान की जाती है न कि एकमुश्त रूप से। इसलिए विश्वविद्यालय के कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि, वह विश्वविद्यालय में प्रभावी किसी पेंशन योजना की सदस्यता लें अन्यथा कि स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत प्रभावी पेंशन योजना-95 प्रभावशील हो जायेगी जिसके तहत नियोक्ताकर्ता के रूप में विश्वविद्यालय का यह दायित्व भी बन जायेगा कि, विश्वविद्यालय कोष में पेंशन हेतु जमा राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) को पेंशन हेतु हस्तगत करें, क्योंकि जहां कोई अन्य पेंशन योजना प्रभावी नहीं है वहां पर EPF Pension Scheme लागू हो जाती है। चूंकि उक्त प्रावधान शैक्षणिक संस्थाओं पर भी प्रभावशील है, ऐसी स्थिति में किसी कर्मचारी को एकमुश्त रूप से पेंशन की राशि प्रदान किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता एवं भविष्य में विश्वविद्यालय को पेंशन हेतु राशि ब्याज सहित EPF Act 1952 के अनुसार EPF Pension Scheme में जमा करने एवं जुर्माना

अधिरोपित करने के अवसर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रायपुर को प्राप्त हो सकते हैं जिसके कारण भविष्य में विश्वविद्यालय पर दोहरा वित्तीय भार/दायित्व भी अनावश्यक रूप से उत्पन्न हो सकता है, जिससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।

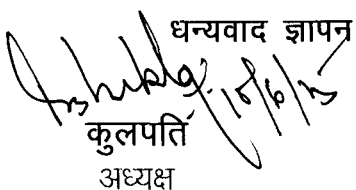
अतः विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक जो किसी अन्य पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, उन्हें मासिक पेंशन EPF Pension Scheme के तहत प्राप्त होगी। उपरोक्त वैधानिक प्रावधान के प्रकाश में श्री तोरण लाल यादव का आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

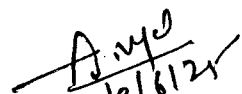
अतः छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग को भी इन तथ्यों से अवगत कराते हुए EPF Pension Scheme के तहत मासिक पेंशन हेतु ऐसे कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक जो अन्य किसी पेंशन योजना के सदस्य नहीं हैं, के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-रायपुर से संपर्क कर, कार्यवाही की जा सकती है।”

- (l) अतः उक्त विधिक प्रस्ताव एवं अंशदायी परिभाषित पेंशन योजना के अंतर्गत डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार एवं समान प्रकरण से आबद्ध कर्मचारियों के संबंध में जिनकी पेंशन की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा है, की निकासी अथवा किसी अन्य पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन से मागदर्शन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। शासन के मार्गदर्शन/निर्णयानुसार जिन 06 कर्मचारियों का भुगतान किया जा चुका है, उन पर भी उनके द्वारा जमा किए गए शपथ पत्र के आधार पर शासन का निर्णय/मार्गदर्शन बाध्यकारी होगा।
- (m) नियमानुसार वर्ष 2004 के बाद शासकीय / अर्धशासकीय कर्मचारियों/ शिक्षकों को NPS की सदस्यता की अनिवार्यता है। यह कर्मचारियों/ शिक्षकों की सेवा नियम का मूल अंश है। अतः इसमें किसी भी प्रकार के विकल्प का कोई प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय में कार्यरत जिन 36 कर्मचारियों / शिक्षकों ने आज दिनांक तक NPS में सदस्यता हेतु फॉर्म नहीं भरे हैं, उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 01 माह के भीतर अनिवार्यतः सदस्यता फॉर्म भरे जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।
- (n) ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके वेतन से कटौती का हिस्सा किसी भी पेंशन योजना में नहीं है एवं उनकी सम्पूर्ण राशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा है, को विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत अनुसार किसी ना किसी पेंशन योजना में जैसे EPFO में ट्रांसफर किया जाने हेतु प्रक्रिया स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यपरिषद् में प्रकरण चर्चा एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत।

निर्णय: कार्यपरिषद् ने इस गम्भीर प्रकरण पर समग्रता से चर्चा के उपरांत निर्णय लिया कि –

- (1) जिन 36 कर्मचारियों ने NPS की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, उन्हें अंतिम रूप से एक माह का समय देते हुए तदसम्बन्धी विवरण आगामी कार्यपरिषद् में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।
- (2) चूँकि कर्मचारी पेंशन की राशि किसी अन्य प्रयोजन में व्यय नहीं की जा सकती अथवा नियमानुसार सीधे कर्मचारी के पक्ष में आहरित नहीं की जा सकती अतः डॉ. नन्दिनी परिहार, श्री तोरण लाल यादव एवं श्री पवन कुमार यादव सहित अन्य 06 अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के NPS सदस्यता ग्रहण न करने की स्थिति से उच्च शिक्षा विभाग को अवगत कराते हुए मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। यदि उच्च शिक्षा विभाग सहमत हो तो इनकी पेंशन प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय में जमा राशि को अन्य किसी प्रचलित शासकीय पेंशन योजना में जमा कराए जाने की प्रक्रिया भी स्थापित की जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष


10/6/24
कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1072/अका./का.प./2025

रायपुर, दिनांक 12/06/2025

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)